शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-११३/2016/2826/बावन-1-2016-01(142)/09

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में स्वीकृत ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास के निर्माण की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(16)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 18.09.2009 द्वारा पूर्व में 47 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के स्थान पर वैकल्पिक परियोजना ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास के निर्माण में उक्त 47 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की धनराशि के व्यय करने की अनुमति अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 58वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक के पत्र संख्या-3/86/2012पी0पी0, दिनांक 27.09.2012 द्वारा प्रदान की गयी थी, के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-4419/52-1-2014-01(142)/09, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज में 100 बेड के बालक छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के पक्ष में धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(16)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 23.09.2016 से उक्त योजना हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 137.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 55.23 लाख तथा(पूर्व में भा0स0 द्वारा अवमुक्त अवशेष धनराशि रू0 13.27 लाख अर्थात कुल केन्द्रांश रू0 68.50 लाख) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 68.50 लाख (रू0 अडसठ लाख पचास हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 123.73 लाख (रूपये एक करोड तेईस लाख तिहत्तर हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 500.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://silasanadesh.up.nic.in

(केन्द्रांश-50, राज्यांश-50) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पीलीभीत	ड्रामण्ड राजकीय इण्टर कालेज, पीलीभीत में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण	01	274.00	137.00	137.00	137.00	55.23 (55.23+ 13.27)	68.50	123.73
		योग	**01**		**137.00**	**137.00**	**137.00**	**55.23**	**68.50**	**123.73**

3- उल्लेखनीय है कि पूर्व में स्वीकृत 47 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 137.83 लाख शासनादेश सं0-जी0आई0 289 एक/52-1-2009-1(146)/2009टी0सी0 I दिनांक 05.02.2010 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृत इकाई लागत कम होने तथा स्वीकृत धनराशि से निर्माण सम्भव न होने के कारण उक्त परियोजना को ड्राप करते हुए उसके स्थान पर वैकल्पिक प्रस्तावों(ड्रमण्ड रा0 इण्टर कालेज, पीलीभीत में 08 अति0 कक्षा-कक्ष, रा0 इण्टर कालेज, न्यूरिया में 02 प्रयोगशाला, रा0 इण्टर कालेज, अमरिया में 01 प्रयोगशाला तथा ड्रमण्ड रा0 इण्टर कालेज, पीलीभीत में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष रू0 124.56 लाख का समायोजन शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रू0 13.27 लाख का समायोजन शेष है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.09.2016 में उल्लेख किया गया है कि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 55.23 में पूर्व की अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू0 13.27 लाख का समायोजन कर लिया जाय।

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- कार्य को अनुमोदित धनराशि से गुणवत्ता के साथ 03 माह में पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://sirsanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ तथा सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/मांगकर्ता अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता की पुष्टि के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की मांग की जायेगी।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत छात्रावास की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

7- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

11- उपरोक्त कार्य के बारे में शासनादेश संख्या-जी0आई0 193/52-1-14-1(120) /09, दिनांक 16 मई, 2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shikshanadesh.up.nic.in

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800- अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0116-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में बालक छात्रावास का निर्माण (के0 50/रा0 50-के0+रा0)**-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस 2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या 2826(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत छात्रावास के निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत छात्रावास के निर्माण का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।
12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय सेप्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in